पत्र संख्या–वन भूमि–27 / 2016–   व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

रॉंची, दिनांक–   /   /2018

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक–911 दिनांक–21.09.2016 एवं पत्रांक–689 दिनांक–25.06.2018 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. विषयक प्रस्ताव में कुल–152.60 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि सन्निहित है, जिसमें से मात्र 39.69 हे0 का वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् विहित प्रपत्र में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न है। शेष 112.91 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। संबंधित अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अलग से प्रेषित किया जायेगा।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निदेश के आलोक में अपयोजित होने वाली वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि में वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
(iv) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No-11-42/2017-FC दिनांक–29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में विषयक प्रस्ताव में प्रतिवेदन उल्लंघन के संबंध में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–27 / 2016–   व०प०, रॉंची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉंची, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, रॉंची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–27 / 2016– 3612 व०प०, रॉंची, दिनांक– 27/08/2018

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉंची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची / उप महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), CCL, दरभंगा हाउस, रॉंची, झारखण्ड–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

F/2018 - -वनभूमि LETTER - 308 (Mukesh)

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 961 दिनांकः 10/9/18

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

O/C